न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी (राज0)
पीठासीन अधिकारीः– श्री दिनेश मण्डोवरा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 4 / 18 अपील

1. भैरूलाल पिता श्री गणेश जाति मेघवाल आयु 50 वर्ष निवासी गोठडा तह0 छोटीसादडी जिला प्रतापगढ (राज0)
2. गोपाल पिता श्री गणेश जाति मेघवाल उम्र 48 वर्ष निवासी गोठडा तह0 छोटीसादडी जिला प्रतापगढ (राज0)
3. जसोदा पुत्री श्री गणेश जाति मेघवाल आयु 45 वर्ष निवासी गोठडा तह0 छोटीसादडी जिला प्रतापगढ (राज0)
4. भगवानीबाई बेवा श्री गणेश जाति मेघवाल आयु 68 वर्ष निवासी गोठडा तह0 छोटीसादडी जिला प्रतापगढ (राज0)

.....अपीलाण्ट्स

/बनाम/

1. प्यारा पिता श्री फकीरा जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी गोठडा तह0 छोटीसादडी जिला प्रतापगढ (राज0)
2. सरपंच ग्रामपंचायत गागरोल तह0 छोटीसादडी जिला प्रतापगढ (राज0)

.....रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 117 ग्राम पंचायत गागरोल निर्णय दिनांक 18.04.1991 बाबत्।

निर्णय दिनांक 22.06.2018

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपने अधिवक्ता अनुराग ओझा के माध्यम से न्यायालय हाजा में एक अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 117 ग्रामपंचायत गागरोल दिनांक 18.04.1991 बाबत् इस आशय की प्रस्तुत की कि– ग्राम बरेखन तह0छोटीसादडी में अपीलाण्ट के दादा भूरा पिता ऊँकार जी चमार निवासी गोठडा की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात जिसके आराजी नं0 28, 26, 29 व 31 कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 हेक्टर भूमि खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि भूरा जी ने अपने जीवनकाल में खरीदी थी जो उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति थी। भूरा जी की मृत्यु लगभग सन् 1987–88 में हो चुकी हैं। उनके मरने के बाद रेस्पोंडेन्ट सं0 1 फकीरा द्वारा गलत तथ्य बता कर अकेले ही राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगत कर भूरा जी की सम्पत्ति में अपना 1/2 हिस्सा

दर्ज करवा लिया, जबकि भूरा जी का एक मात्र पुत्र गणेश था, गणेश के अलावा भूरा जी की अन्य कोई जायन्दा संतान नहीं थी। प्यारा पिता फकीरा भूरा जी के भाई फकीरचन्द जी का लडका था। भूरा जी व फकीरचन्द जी के पिता जी का नाम ऊँकार जी था। इस प्रकार भूरा जी के एक मात्र संतान गणेश था जो कि अपीलाण्ट का पिता हैं, फिर भी राजस्व कर्मचारीयो से व ग्राम पंचायत गागरोल से मिली भगत करके प्यारा पिता फकीरा ने गलत तथ्यों के आधार पर भूरा जी की सम्पत्ति कृषि भूमि का नामान्तरकरण सं0 117 दिनांक 18.04.1991 को खुलवा कर अपना 1/2 हिस्सा दर्ज कराया उससे असन्तुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई एवं उक्त नामान्तकरण को निरस्त करने की प्रार्थना की एवं अपील के साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधि0 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर देरी को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। अपील की पुष्टि में नामान्तरकरण की नकल, जमाबंदी की नकले, मतदाता सूची की प्रति, राशनकार्ड, पहचानपत्र, बी पी एल में एलोट प्लाट की प्रति व अन्य दस्तावेज अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोंडेन्ट्स के सम्मन बादतामील प्राप्त हुए एवं रेस्पोंडेन्ट्स की और से कोई उपस्थित नहीं हुए।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं बहस वकील अपीलाण्ट्स सुनी। बहस में अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता ने अपने तर्क प्रस्तुत कर उक्त नामान्तकरण मेंसे प्यारा पिता फकीरा को भूरा का वारिस बता कर 1/2 हिस्से में नाम अंकित किया गया हैं, का नाम विलोपित कर भूरा के एक मात्र गणेश के नाम पर दर्ज किया जावे। हमने दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया, सभी दस्तावेज सरकारी कर्मचारीयो द्वारा प्रमाणित दस्तावेज है, जिस पर मुख्यतः विगत 3 चुनावो की मतदाता सूचीयॉ हैं, उक्त सूचीयो में प्यारा की वल्दीयत फकीरा लिखी हुई है और गणेश की वल्दीयत भूरा लिखी हुई हैं साथ ही राशनकार्ड में भी प्यारा द्वारा अपने पिता का नाम फकीरा अंकित कर रखा है ताजा दस्तावेजो में अपीलाण्ट द्वारा एक बिजली का बिल प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 25.03.2018 का होकर बिल नं0 1306220518112 हैं उक्त बिल में भी प्यारचन्द और पते में श्री फकीरचन्द गोठडा लिखा हुआ हैं। इसी प्रकार पहचान पत्र सं0 RJ/19/125/465374 में भी प्यारचन्द की वल्दीयत में फकीरचन्द लिखा हुआ है, न की भूरा लिखा हुआ। प्यारचन्द द्वारा अपना परिवार राशनकार्ड बनवाया गया जिसमें नीचे तत्कालीन सरपंच द्वारा पृष्ठांकन कर यह लिखा गया है कि गणेश पिता भूरा जी मेघवाल व प्यारचन्द पिता फकीरचन्द जी मेघवाल ये दोनो नाम वास्तविक नाम है।

उपखण्ड अधिकारी

उक्त सभी दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं जिन पर मनन किया जाना उचित हैं, उक्त दस्तावेजो के आधार पर प्रथमतः अपीलाण्ट के आधार को बल मिलता हैं। चूँकि प्यारचन्द के किसी भी दस्तावेज में वल्दीयत भूरा नहीं लिखी हैं, वल्दीयत फकीरचन्द लिखी हुई हैं। इस प्रकार हम अपीलाण्ट के कथनो व तर्को एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से पूर्णतः सहमत हैं। जहॉ तक विलम्ब का प्रश्न हैं अपीलाण्ट का कथन है कि गणेश जी अनपढ व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी विरासत की कार्यवाही करने हेतू ये पटवार हल्का के पास पहूँचे तो पुरानी जमाबंदीया देखने पर उन्हे प्यारचन्द की मिलीभगत का पता चला जिस पर उन्होने समस्त दस्तावेज एकत्रित कर अविलम्ब यह अपील गणेश के वारिसान की और से प्रस्तुत की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी यह कथन है कि किसी भी अपील को विलम्ब के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए बल्कि गुणावगुण के आधार पर उसका विवेचन कर उसका निर्णय पारित किया जाना चाहिए। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती हैं नामान्तरकरण सं0 117 दिनांक 18.04.1991मेंसे 1/2 हिस्से में अंकित प्यारा का नाम विलोपित कर समस्त खाता गणेश के नाम पर दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। साथ ही वर्तमान प्रविष्ठीयो में भी इसी अनुसार आदेश की पालना कर समस्त खाता गणेश के वारिसान के नाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार छोटीसादडी को दिया जाता हैं। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

यह निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगा पारित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी

(दिनेश मण्डोवरा)
पीठासिन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,छोटीसादडी